



भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (भारत भर की व्यापारिक एवं लघु औद्योगिक संस्थाओं का केन्द्रीय संगठन)

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL®

मुख्यालय : 11 गोला कटिज दूसरी मंजिल, 4598, 12-बी, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली- 110 002

H.O.: 11 Gola Cottage IInd Floor, 4598, 12-B, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi- 110 002

☎ : 011 - 40450343 E-mail: buvmdli@gmail.com. Website: www.buvm.org

स्थापित: Est. 1981

राष्ट्रीय अध्यक्ष

श्याम बिहारी मिश्र, पू.सांसद

Mob.: 9415431364/9919491369

चेयरमैन

मनोहरलाल कुमार

Mob.: 9810012359

कोषाध्यक्ष

जगदीश बेरीवाल

Mob.: 9312214433

सह-कोषाध्यक्ष

नरेश गोयल

Mob.: 9810121862

वरिष्ठ महामंत्री

विजय प्रकाश जैन

Mob.: 9811150010

सेवा में,

श्री नरेन्द्र मोदी

सम्माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार

साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स

नई दिल्ली -110011

संदर्भ सं.: 11/20

दिनांक: 19 फरवरी 2020

जीएसटी के सम्बन्ध में उद्योग एवं व्यापार वर्ग को आने वाली समस्याओं के लिए ज्ञापन एवं सुझाव

वर्ष 2020 के बजट में अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने के लिए जो कदम वित्तमंत्री श्रीमती सीतामरण ने उठाये हैं उनके लिए आपकी सरकार का हार्दिक अभिनन्दन!

आपकी सरकार ने भारत में जीएसटी लागू कर एक साहसिक एवं सराहनीय कदम उठाया है। अब जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अनिवार्यता है और पूरी अर्थव्यवस्था जीएसटी पर ही निर्भर है लेकिन इस समय जीएसटी के सम्बन्ध में जो स्थिति चल रही है उससे भारतवर्ष के व्यापारी वर्ग की स्थिति अब असहनीय हो गई है और इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है अतः सुधारात्मक कदम उठाये जाने चाहिये अन्यथा जीएसटी भारतीय उद्योग एवं व्यापार के लिए एक दीर्घकालीन समस्या बनकर इसे नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय जीएसटी में निम्न सुधारों की आवश्यकता है:-

1. तकनीकी गलतियां सुधारने व रिटर्न संशोधन का मौका दें:-

जीएसटी एक नया कर था और भारत के उद्योग एवं व्यापार ने इसके पालन करने में पूरी मेहनत और ईमानदारी से सहयोग दिया है लेकिन इसके पालन में प्रारंभिक समय में उद्योग एवं व्यापार से काफी तकनीकी गलतियाँ हुई हैं लेकिन इस प्रकार की तकनीकी गलतियों में किसी भी प्रकार की कर चोरी की भावना नहीं होती है लेकिन चूँकि जीएसटी के प्रमुख रिटर्न GSTR-3B में गलती के संशोधन का कोई प्रावधान नहीं था तो ये गलतियाँ सुधार ही नहीं सकी।

जीएसटी से पहले जो अप्रत्यक्ष कर का कानून था जिसके सरलीकरण के लिए जीएसटी लाया गया था उस कानून में जिसमें सर्विस टैक्स, वैट और सेंट्रल एक्साइज भी शामिल थे में भी रिटर्न को संशोधित करने की सुविधा थी, आयकर का रिटर्न भी संशोधित हो सकता है फिर जीएसटी कर जो कि सरलीकरण के लिए लाया गया था उसमें इस तरह का असुविधाजनक प्रतिबन्ध लगाने का कोई तर्क नहीं है और यदि जीएसटी के रिटर्न संशोधित करने का प्रावधान कर दिया जाए तो जीएसटी के रिटर्न एवं कर निर्धारण में होने वाली अधिकांश समस्याएँ हल हो जायेंगी। आप इस समस्या पर विशेषज्ञ राय भी लें कि बिना रिटर्न संशोधित किये कई तरह की समस्याएँ हल ही नहीं हो सकती हैं और ये सभी समस्याएँ हल हुए बिना वार्षिक रिटर्न्स भी कर निर्धारण में अधिकारियों की कोई मदद नहीं कर पायेंगे और इसके अभाव में सारे कर निर्धारण नोटिस जारी करने के बाद ही होंगे जो कि जीएसटी के सरलीकरण के सिद्धांत के विरुद्ध होगा।

आपसे निवेदन है कि इस तरह की तकनीकी त्रुटियों को दूर करने का उद्योग एवं व्यापार को यदि एक मौका दिया जाये तो जीएसटी से सम्बंधित अनेक समस्याएँ हल हो सकती हैं जिनमें कर के तीनो वर्गों में जैसे SGST, CGST एवं IGST में एक की बिक्री दूसरे वर्ग में दिखा देना या इनकी ITC एक दूसरे में क्लेम हो जाना लेकिन अब इनका संशोधन नहीं होने से अब व्यापारी वर्ग परेशान हो रहा है जब कि यह कर सरकार को मिल भी चुका है अब इसे फिर से वसूलना और उस पर ब्याज लेना ये केवल तकनीकी खामी के कारण व्यापार को दंड देना ही हुआ जबकि जीएसटी में प्रारम्भ से लेकर आज तक सरकार से भी कई तकनीकी गलतियाँ हुई हैं जिसे भी लगातार अधिसूचनाएं एवं परिपत्र जारी कर सुधार करने की कोशिश की गई है तो फिर एक छोटी सी सुविधा व्यापारी वर्ग में देने में कहीं कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसे आप व्यापार एवं उद्योग की और से अनुरोध मान कर इस सुविधा देने का कष्ट करें।

2. सकल कर पर ब्याज लेना अतार्किक और अव्यवहारिक है:—

(धारा 50 (1) में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करे इस प्रावधान की सख्त व्याख्या ने इसे अतार्किक बना दिया है)

इसके अतिरिक्त सकल कर पर ब्याज देने का मामला भी व्यापार एवं उद्योग को परेशान कर रहा है। देरी से रिटर्न भरने पर ब्याज तो केवल नगद में जमा कराए जाने वाले बकाया कर ही होना चाहिए ना कि सकल कर पर। स्वयं जीएसटी कौंसिल और आपकी सरकार भी इस विचार से सहमत नहीं है इसीलिये आपने इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्ताव भी दिया है लेकिन वह भी अभी लंबित ही है आप शीघ्र ही इसे एक जुलाई 2017 के भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर व्यापार एवं उद्योग को इस परेशानी से छुटकारा दिलाएं जो कि आप ही के कानून के अतार्किक प्रावधान के कारण उत्पन्न हुई है। जो राशि सरकार के खजाने में आ चुकी है उस पर ब्याज लगाने का ना तो कोई औचित्य है ना ही कोई व्यवहारिक और आर्थिक तार्किकता और इस तरह से यह व्यापारिक वर्ग पर एक अनुचित बझ है।

जीएसटी कानून की धारा 50 (1) में 1 जुलाई 2017 के भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तन कर भारत के उद्योग एवं व्यापार को इस प्रावधान की अतार्किक व्याख्या से होने वाले प्रभाव से बचाने का कष्ट करें।

3. लेट फीस लौटाने का कष्ट या कृपा करें:—

(जीएसटी कर एकत्र करने के लिए लाया गया था लेकिन इसे लेट फीस टैक्स बना दिया गया है जो इस कर और डीलर्स के लिए उचित नहीं है)

देरी से रिटर्न भरने पर व्यापारी वर्ग को भारी लेट फीस का भुगतान करना पड़ा है जब कि जीएसटी एक नया कानून था और साथ ही कई तकनीकी परेशानियां भी इस कर की प्रक्रियाओं को लेकर थी और सरकार ने भी इस सम्बन्ध में लगातार परिवर्तन किये हैं तो व्यापारी वर्ग से भी देरी होना संभव था। अतः आपसे निवेदन है कि व्यापारी वर्ग जिसने जीएसटी की सफलता के लिए अथक परिश्रम किया है उनकी लेट फीस लौटाने का कष्ट करें एवं अभी भी जीएसटी की लेट फीस को इस तरह से परिभाषित करें कि वह व्यापारी द्वारा एक कर अवधि में "नगद" में भुगतान किये जाने वाले कर से अधिक कभी भी ना हो।

जीएसटी कानून भारत में एक सरल अप्रत्यक्ष कर कानून लाने के लिए लाया गया था लेकिन यह एक नया कानून था और गलतियां और देरी भी सभी पक्षों के द्वारा किया जाना स्वाभाविक है।

4. बैंक से भुगतान करते ही सरकार को भुगतान समझें:—

(व्यापारी सरकार को कर उसी दिन दे देता है जिस दिन वह इसे सरकारी खजाने में जमा करा देता है यह पैसा डीलर के खाते से निकल जाता है और सरकार के पास चला जाता है — धारा 49(4) को भी इस सम्बन्ध में देखें जिसमें सेट ऑफ का प्रावधान दिया गया है और ब्याज लेने के लिए साधन ना बनाएं)

जीएसटी में कोई भी व्यापारी जिस समय अपने कर का बैंक द्वारा भुगतान कर देता है उसी समय सरकार को यह कर प्राप्त हो जाता है तो फिर जब व्यापारी उसे जिस तिथी को सेट ऑफ करे उस तिथी तक ब्याज लगाने के पीछे भी कोई तर्क नहीं है और इस प्रावधान ने भी व्यापारी वर्ग को बहुत परेशान कर रखा है। इस तरह की "कागजी मांग" खड़ी करना वह भी इस समय जब कि जीएसटी खुद ही प्रयोगात्मक दौर से गुजर रहा है व्यापारी वर्ग पर बोझ डालने का कोई तर्क नहीं है। जो पैसा कर के रूप में सरकार को मिल चुका है उस पर सिर्फ इसलिए ब्याज लगा देना कि उसे सेट ऑफ नहीं किया है, जो कि एक तकनीकी खामी है, उचित भी नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है।

आयकर कानून में भी जो रकम चालान के द्वारा बैंक में जमा करा दी जाती है उसी तारीख से ही इसे जमा मान लिया जाता है और इसी तरह से ही जीएसटी में भी बैंक में राशि जमा करा देने से इसे जमा मान लिया जाए।

5. जीएसटी नेटवर्क अपना काम तो करें :—

(जीएसटी नेटवर्क 1 जुलाई 2017 से ही कार्य नहीं कर रहा है सरकार इसे स्वीकार करे और सम्बंधित पक्षों को इसमें सुधार करने के लिए बाध्य करे)

जीएसटी का नेटवर्क जीएसटी लागू होने के बाद कभी भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाया है और जीएसटी की अधिकांश परेशानियों का कारण यही जीएसटी नेटवर्क है जिसकी गति एवं क्षमता को बढ़ाना अति आवश्यक है और आप इस नेटवर्क को शीघ्र दुरुस्त करने का कष्ट करें ताकि जीएसटी की प्रक्रियाओं के पालन में व्यापारी वर्ग को परेशानी ना हो। जीएसटीएन एक राष्ट्रीय नेटवर्क है और इसके लगातार असफल होने को अब आंकड़ों से छुपाया नहीं जा सकता है अतः आप जीएसटी नेटवर्क के सेवा प्रदाता को इस बात के लिए बाध्य करे कि जीएसटी नेटवर्क की गति एवं क्षमता इस तरह बढ़ाए कि आने वाले 10 साल तक के बढ़े हुए काम को यह झेल सके जो कि सुचना प्रौद्योगिकी का एक मूल सिद्धांत होता है जिसका पालन जीएसटी नेटवर्क की कार्यप्रणाली में नहीं किया गया है।

जीएसटी नेटवर्क की असफलता के लिए बार दृबार यह प्रयास किये गए हैं कि इसके लिए डीलर्स और प्रोफेशनल्स को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए या उन्हें यह कहा जाए कि वे आखिरी दिनों में रिटर्न क्यों भरते हैं और आप यह मान कर चलिए कि यह कोई इस समस्या का कोई व्यवहारिक हल नहीं है और इसके लिए आपको जीएसटी नेटवर्क को मजबूत करना होगा ताकि डीलर्स इसका उपयोग करते हुए जीएसटी की प्रक्रियाओं का निर्बाध तरीके से पालन कर सकें। जीएसटी नेटवर्क एक सुविधा होना चाहिए जब कि यह एक असुविधा में परिवर्तित हो चुका है जिसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है और यदि वर्तमान में जो जीएसटीएन सेवा प्रदाता है उनके द्वारा यह सम्भव नहीं है तो आप उन्हें दूसरे सेवा प्रदाता से बदल दें जो कि खराब सेवा देने पर इस तरह सेवा प्रदाता बदल देने का व्यवहारिक नियम है और आप भी उसका जनहित में पालन करें।

6. इनपुट क्रेडिट के मिस्मेच की समस्या का तार्किक एवं व्यवहारिक हल ढूँढें:-

(धारा 36(4) को एक बार फिर से देखें ये व्यापार एवं उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है)

जीएसटी में खरीद पर इनपुट क्रेडिट का मिस्मेच भी एक बड़ी समस्या है और जिस तरह से अब कानून बनाया गया है वह इस समस्या को और भी गंभीर बनाता है अतः आपसे निवेदन है कि आप जीएसटी खरीद की इनपुट क्रेडिट के मिस्मेच को दूर करने के लिए तीन से छह महीने का समय देने का कष्ट करें और इसके अतिरिक्त खरीददार को इस प्रकार का दंड देने के जगह उस बेचने वाले डीलर को दण्डित करें जो कर खरीददार से लेकर जमा नहीं करवा रहे हैं।

जिन डीलर्स ने माल बेचा है उन्हें भी रजिस्ट्रेशन भारत सरकार ने ही दिया है आर अब वह कर जमा नहीं कराता है या देशी से जमा कराता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं , के लिए खरीददार को जिम्मेदार ठहराना कोई न्याय नहीं है। यह कहना कि "आप अपना विक्रेता समझदारी से चुनें" बहुत ही आसान आधिकारिक बयान हो सकता है पर यह कोई मिस्मेच की समस्या का हल नहीं है।

डीलर्स को अपने विक्रेताओं के द्वारा कर जमा नहीं करवाने के कारण मालूम करना, उन्हें दूर करना और विक्रेताओं से कर जमा करवाना इसके लिए समय चाहिए और आपसे अनुरोध है कि इसके लिए 3 से 6 माह का समय देने का कष्ट करें और खरीददार की भी समस्या समझने का प्रयास करें और इसे हल करें। जल्दबाजी में खरीददार की इनपुट क्रेडिट रोक देना व्यापार एवं उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी की समस्या खड़ी कर देगी और व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा।

7. RCM की अव्यवहारिक प्रक्रिया व प्रावधान को हटाएँ:-

(धारा 9 (4) के RCM के प्रावधान को दिनांक 1 जुलाई 2017 के भूतलक्षी प्रभाव से हटाएँ)

जीएसटी में RCM एक नई और अव्यवहारिक प्रक्रिया थी और अपंजीकृत व्यापारी से खरीद पर RCM को दिनांक 13 अक्टूबर 2017 को हटा लिया गया था लेकिन इस अव्यवहारिक कानून को लेकर परेशानी 1 जुलाई 2017 से ही थी इसलिए इस प्रावधान को इसी तारीख से हटाना ही उचित रहता जो कि नहीं किया गया है और इस कारण से कई किस्म की परेशानियों का सामना व्यापारी वर्ग को करना पड़ रहा है अतः आप इस पर ध्यान दें कि किस उपाय से व्यापारी वर्ग को इस परेशानी से छुटकारा मिल सके।

जो प्रावधान 13 अक्टूबर 2017 को अव्यवहारिक था वह 1 जुलाई 2017 को व्यवहारिक कैसे हो सकता है इसके अतिरिक्त यदि इसे 1 जुलाई 2017 से हटा लिया जाता तो सरकार के राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

RCM को लेकर एक और निवेदन है आपसे कि अधिकांश मामलों में व्यापारी वर्ग पर लगे इस अव्यवहारिक प्रावधान से सरकार को राजस्व के रूप में कुछ नहीं मिलता है सिर्फ व्यापारी वर्ग को अतिरिक्त प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है जो कि सरलीकरण के नाम पर लाये गए जीएसटी के मुख्य उद्देश्यों से मेल नहीं खाता है। आप इस प्रावधान को वापिस लेने का कष्ट करें जहाँ इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है .

8. इनपुट क्रेडिट को लेने का समय समाप्त होने की स्थिति में एक बार समय दें:-

(जीएसटी कानून की धारा 16(4) को देखें और जीएसटी के प्रारम्भिक दो साल में इसे स्थगित रखें)

जीएसटी कानून की धारा 16(4) के अनुसार किसी एक निर्धारण वर्ष में मिलने वाली इनपुट क्रेडिट एक निर्धारित समय में नहीं ली जाए तो वह समाप्त हो जाती है और इस तरह से व्यापारी वर्ग को उस कर की आर्थिक हानि उठानी पड़ती है जिसका भुगतान वह अपने विक्रेता को दे चुका है और जो सरकार के खजाने में भी जमा हो चुका है।

एक बार फिर से यहाँ हम आपसे यह निवेदन कर रहे हैं कि जीएसटी नया कानून होने के कारण तकनीकी खामियां डीलर्स से हुई हैं इसलिए आप पहले अर्थात् प्रारम्भिक दो वर्षों में इस धारा 16(4) के प्रावधानों से छूट देकर उन्हें यह क्रेडिट देने का कष्ट करें क्योंकि यह पैसा सरकार के खजाने में तो आ ही चुका होता है।

9. 2018-19 वार्षिक रिटर्न नेटवर्क पर लायें और तारीख बढ़ाएं:-

(आपकी तकनीक और जीएसटी नेटवर्क रिटर्न और उनकी सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं तो इसकी अंतिम तिथि बढ़ाना ही तार्किक होगा - इसे 30 जून 2020 तक बढ़ायें)

जीएसटी के 2018-19 के वार्षिक रिटर्न अभी तक भी जीएसटी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं हैं और इसकी अंतिम तिथि अब सिर्फ अगले ही महीने है इसलिए आपसे निवेदन है कि इस रिटर्न को शीघ्र ही जीएसटी नेटवर्क पर लगवाने का कष्ट करें और चूँकि अभी तक यह रिटर्न नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं है इसलिए आपसे निवेदन है कि 2018-19 के वार्षिक रिटर्न की तिथि 30 जून 2020 करने का कष्ट करें और इसके साथ ही रिटर्न इत्यादि के मामले में जीएसटी नेटवर्क को नियमित करने का कष्ट करें। आज दिनांक 19 फरवरी 2020 तक भी यह सुविधा जीएसटी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं है।

2017-18 के वार्षिक रिटर्न के लिए 5 बार तारीख बढ़ायी गई थी लेकिन इनमें से एक बार भी यह तारीख व्यापार एवं उद्योग की मांग पर नहीं बढ़ाई गई थी, हर बार यह तारीख जीएसटीएन की तकनीकी खामियों और फॉर्म एवं उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने के कारण हुआ था और इस बार भी यही स्थिति है अतः हमारी सलाह यह है कि आप 2018-19 की तारीख को आप 30 जून 2020 अभी से कर दें ताकि इस सम्बन्ध में कोई असमंजस और भ्रम नहीं रहे।

आप पहले इस वार्षिक रिटर्न का फॉर्म और उसकी सुविधा जीएसटी नेटवर्क पर जारी करें और इसके बाद व्यापार एवं उद्योग को 90 दिन का समय दें ताकि वे इस रिटर्न को आसानी से समझ बूझ कर भर सकें।

10. जीएसटी सरलीकरण अब तो प्रारम्भ करें:-

(जीएसटी सरलीकरण के लिए ही लाया गया था लेकिन अब यह उद्देश्य पीछे रह गया है)

जीएसटी भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए लाया गया एक बहुत ही महत्वकांक्षी और साहसिक कदम था लेकिन इस समय जो जीएसटी की स्थिति चल रही है उससे ऐसा लगता है कि जीएसटी का यह मुख्य उद्देश्य काफी पीछे चला गया है या यों कहे कि अदृश्य ही हो गया है और इस समय जिस तरह से जीएसटी की प्रावधानों को व्यापार एवं उद्योग के विरुद्ध काम में लिया गया है उससे लगता है कि अब सरलीकरण के सिद्धांत को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रक्रियाओं को आसान बनाये और अव्यवहारिक प्रावधानों को हटाने का कार्य अब शुरू कर दें तो देश के व्यापार, उद्योग एवं अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार होगा जिसका वादा जीएसटी लाते समय किया गया था।

जीएसटी की प्रक्रियाएं बहुत ही मुश्किल हैं इन्हें आसान किये बिना जीएसटी की सफलता को पाना काफी मुश्किल है अतः अब आप सरलीकरण की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारम्भ करने का कष्ट करें।

11. क्या अर्थ व्यवस्था बिना लघु और मध्यम व्यापार के चल सकती है:-

(भारतीय उद्योग एवं व्यापार को जीएसटी की परेशानियों से मुक्त कराए ताकि वे भारतीय अर्थ व्यवस्था में अपना योगदान दे सकें)

भारत की अर्थव्यवस्था बिना लघु और मध्यम उद्योग और व्यापार के नहीं चल सकती है इसलिए चूँकि यह वर्ग इस समय जीएसटी के कारण संकट में है अतः आपसे निवेदन है कि आप जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का निवारण करें और आप इस और भी ध्यान दें कि इस वर्ग को लगातार जीएसटी नोटिस मिल रहे हैं जो कि इनकी मुश्किलें और भी बढ़ा रहे हैं अतः आप इस बात की जाँच करवाने का कष्ट करें की तकनीकी कारणों से जारी नोटिसों की संख्या कम करवाएँ और यदि इस गति से नोटिस जारी हो रहे हैं आप यह मान लें कि व्यापारी बहुत अधिक संख्या में आपके इस कानून का पालन नहीं कर पा रहे हैं और कानून में जो अव्यवहारिक प्रावधान हैं उन्हें हटाने का कष्ट करें क्योंकि आप भी मानेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में यदि गलतियाँ हो रही हैं तो फिर खामी कानून में ही है और इसे सुधार की अतिशीघ्र आवश्यकता है।

जिस संख्या में जीएसटी नोटिस जारी हो रहे हैं उसी से आप मान लीजिये कि प्रक्रियाएँ कठिन हैं और इनका पालन करने में कई तकनीकी गलतियाँ हुई हैं अब आप उन गलतियों को सुधारने का मौका दें तभी यह कर सफलता पूर्वक लागू हो सकेगा वरना उलझने सुलझने की जगह और भी उलझती चली जायेगी और इस प्रकार जीएसटी डीलर्स के बहुत सारे मामलों में भी जायेंगे जो कि किसी भी सरल कर प्रणाली के लिए उचित बात नहीं है।

आशा है इन सुझावों पर आप सकारात्मक सोच के साथ विचार करेंगे और इसी भावना के साथ भारत के उद्योग एवं व्यापार की जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को हल करने का आदेश देकर भारत के उद्योग एवं व्यापार को भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का पूरा अवसर देंगे।



विजय प्रकाश जैन
वरिष्ठ महामंत्री
9811150010

भवदीय



श्याम बिहारी मिश्र
पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष
9415431364 / 9919491369



भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल[®]

(भारत भर की व्यापारिक एवं लघु औद्योगिक संस्थाओं का केन्द्रीय संगठन)

BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL[®]

मुख्यालय : 11 गोला कॉटेज दूसरी मंजिल, 4598, 12-बी, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली- 110 002

H.O.: 11 Gola Cottage IInd Floor, 4598, 12-B, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi- 110 002

☎ : 011 - 40450343 E-mail: buvmdli@gmail.com. Website: www.buvm.org

स्थापित: Est. 1981

National President

Shyam Bihari Mishra, Ex-MP

Mob.: 9415431364/9919491369

Chairman

Manohar Lal Kumar

Mob.: 9829062328

Treasurer

Jagdish Beriwal

Mob.: 9312214433

Joint Treasurer

Naresh Goyal

Mob.: 9810121862

Secretary General

Vijay Prakash Jain

Mob. 9811150010

Smt. Nirmala Sitaraman
Union Finance Minister
North Block, Raisina Hills
New Delhi- 110001

Ref No. 14/20
Dated: 21st February 2020

Memorandum for GST problems faced by Trade and Industry and some suggestions to solve them to give relief to Trade and Industry

Aadarniya Madam

Indian Government has taken a very bold step at the time of Introduction of the GST in 2017 in the country and it was a very bold step for the upliftment of the Indian economy.

GST was essential for the Indian Economy and now whole the economy is dependent on the success of the GST but after 30 Months of its introduction GST is not fully settled in the country and now the Trade and Industry in the facing so much problems from the GST and its stringent procedures and these problems require your goodself's immediate attention otherwise these problems will become very serious and in long term will harm the financial Interests of trade and Industry of the Country and that will ultimately will harm the Indian Economy.

Let us see the GST problems and the possible solution of the same:-

1. GIVE ONE CHANCE TO REMOVE TECHNICAL MISTAKES AND ALLOW THE REVISION OF RETURNS

GST is A New tax and Indian Trade & Industry with the help professionals have given its 100% to GST and it's procudres but since the tax was new hence lot of technical Mistakes were done by the dealers though the same did not have any financial effects or any intension to avoid the tax.

Further GSTR-3B was introduced as a stopgap arrangement but later it was inducted as a return in the Law books but Revision facility of GSTR-3B was not given.

Some of the mistakes made by the dealers is GSTR-3B are irreparable if the revision facility is not given. The examples are the credit of SGST and CGST is taken in IGST wrongly or vice versa. Tax is wrongly set off etc. These are initial mistakes and the reason is new tax regime and unique and back to back procedures.

Your good self is therefore requested to please allow one time amnesty to rectify all these technical mistakes and further allow one time revision of GSTR-3B filed in the Financial Year 2017-18.

The GST is introduced for simplification of existing VAT, Central Excise and Service Tax Laws but in all these Taxation laws there was a facility to revise all the returns and even in Income Tax Return there is a facility to revise the returns.

The revision of return was a facility in erstwhile laws and GST has replaced them with a view to simplify the indirect taxation system of the country and this essential facility is withdrawn? To make the

(2)

law viable and easy to follow and make it logical please give facility to revise the earlier returns otherwise the Annual return will not serve any purpose at the time of assessment and every assessment will be made after issuing the notices and this not the purpose of GST.

Here I am giving only one instance where the dealer has committed a mistake but at present there is no solution:-

The dealer say X has claimed ITC as IGST of Rs. 5.00 Lakhs instead of Rs.2.50 Lakhs SGST and Rs. 2.50 CGST in July 2017 due to accounting software mistake and unfortunately the mistake was noticed at the time of preparation of GSTR-9.

Now at present there is no solution though it is not the tax evasion and it is only technical or clerical mistake.

Even in VAT one can rectify this mistake on or before filing of annual return but in GST, which is introduced in the name of Simplification, there is no solution of this type of problem. No Loss of revenue to the Government but there is No solution of this type of Mistakes. There are lot of cases of this type of mistakes.

2. INTEREST ON GROSS TAX IS ILLOGICAL AND IMPRACTICLE Section 50(1)

The intention and notices of the department to collect the interest on Gross amount of tax in case of delay in filing the returns instead of charging the interest on Net due payment is creating very big problems for the Trade and Industry.

Even GST council and the Government is not agree with this arrangement and a amendment is moved in this respect in Budget-2019 and a proviso to section 50(1) is inserted to mitigate this hardship but it should be made retrospective instead prospective so that the problem of the Trade and Industry in this respect can be solved.

In public interest your good self is requested to make a retrospective amendment in this respect and further disposal of this matter in logical way, please instruct the department not to issue notices in this respect.

3. WAIVE AND RETURN LATE FEES

Respected Madam, GST late fees is very big problem for the dealers and this one more point is attached with the late fees. At one point of time the Government has waived the late fees for the dealers who did not file their returns but in that case most of the dealers filed their return before that time with late fees and if a late fee is waived for the defaulters, the late fees collected from these dealers should be refunded to them. But this is not done hence dealers have regrets due to this discrimination.

Respected Madam, Please make a provision for refund of late fees to these dealers and further introduce an amnesty scheme for rest of the dealers so that they can file their returns.

Further Late fees on GSTR-1 is waived till 10th JAN 2020 and general perception is that after that there will be late fees on this form also which will create more problems for Taxpaying dealers. Please sir, please stop this at this initial stage.

Respected Madam, GST itself is at experimental stage hence provisions like late fees should be avoided to make the dealers to understand the system.

The GST was introduced to simplify the indirect system of the country but now it is being as described as "A Tax which is collecting the late fees only" and this is not good for a tax which is introduced for simplification of the Indirect taxation system of the country.

Respect Madam, the dealers who have surrendered their RC and does not have any tax liability and having no stock have to file a final return GSTR-10 and in most of the cases these returns are NIL but if forget they have to pay a late fess amounting to Rs. 200.00 per day subject to maximum of Rs. 10000.00 . The form GSTR-10 in most of the cases have NIL information hence this late fees is a harassment and big burden on the dealers who have already surrendered their registration certificates.

(3)

This GSTR-10 has to be filed after order of the cancellation of the RC and it is a big problem. Sometimes it is ordered within 15 days of applying the surrender and in some cases it took 6 Months so the dealers who surrendered their Registration to keep in touch with this formality.

Please consider the problem associated with this form GSTR-10 and practically this form should be taken with the application of surrender of RC and in NIL cases if the return is not filed please waive the late fees further the NIL GSTR-10 has no purpose hence it should be made optional for the dealers who has something to file in it.

4. PLEASE TREAT THE PPAYMENT OF TAX IN BANK AS THE DATE OF PAYMENT TO THE GOVERNMENT

The dealer has deposited the tax in the Bank and on the same day it is transferred to the Government exchequer but as per the interpretation of the Law the interest is charged till the date of set off of the tax hence in case late returns the Interest may be charged on the amount of tax which is already paid but not set off. Setting off the tax is just a technical procedure but charging interest till that date is not justified because tax is already paid to the Government by the dealer from his bank account through required challan hence your good self is required to look into this aspect the Please take immediate steps to solve this problem. Why dealers are being made scapegoat of an illogical provision or illogical interpretation of a provision.

5. GST NETWORK: - WHY IT IS NOT WORKING PROPERLY SINCE INRODUCTION OF GST

Respected Madam, GSTN is creating problems since inception of the GST. It is not well equipped with required capacity hence filing of return is always a problem. The GSTN always crashed before one or two days before the due date of every return. Recently it is advised to file the returns 3 days before the due dates but sir, this is not the solution but it is acceptance of the shortcoming of the GST Network.

Recently on 20th Dec. 2019 at last date of filing of GSTR-3B GST network was working perfectly when internet was blocked for security reason in some part of the county and it shows that GSTN can work smoothly but the capacity is the problem.

Respected Madam, Please order for the enhancement of the GSTN capacity so that it can work smoothly,

GSTN is a national portal of Indirect Tax and our country and its working, capacity and speed should be a prestigious issue for us since we are the top IT country of the world but the working of GSTN is not up to the mark.

As per the accepted principal of IT Industry the IT system should be construed with visualising the demand of Next 10 years but the GSTN is a not up to mark since first day of its operation .

Your good self is therefore requested to please compel the service provider of GSTN to increase its capacity and if is not possible then changing the service provider in the best interest of the general Public.

The problems of GSTN will not be solved by giving all the responsibility to the Dealers and professionals. It is just a capacity and speed problem which can be solved by introducing the technical solution.

GSTN is biggest hurdle in smooth Procedural implementation of GST and your good self is requested to please look into the problems related to GSTN and please give the instructions to solve ASAP.

6. GST MISMATCH PROBLEMS: - LOGICAL AND PRACTICAL SOLUTION IS NEED OF THE HOUR.

Respected Madam, the provision of 10% Input credit provision should be postponed and it should be introduced again with proper preparation and planning of the time. The time limit given in the provision is very impractical and the dealers should be given at least 3 to 6 Months time for clearing the

(4)

Mismatch of the input credit. Here I am not supporting the tax evasion or non payment of tax but if the tax is paid by the dealer to the seller then it should not be collected from him again on the ground that there is delay on part of the seller in filing his returns Since the purchasing dealer has no control on return filing activity of the selling dealer.

There may be several reasons for delay in filing of the returns and if in the same month the ITC – Input tax credit is withheld or blocked and purchaser is asked to deposit the same is not a practical solution. It will unnecessarily block working capital of the dealers.

In any case the tax will be paid by the purchaser if it is not paid by the selling dealer with interest but he should be given a time of 3 to 6 Months to control the transactions of the seller and compel him to file the returns and clear the mismatch of the ITC.

It is very easy to say that “Choose your vendor wisely” and the RC is also given to the seller by your Government so it is the duty of the Government to compel the seller to deposit the tax instead of punishing the purchaser who has already paid tax to the seller.

Your good self is required to see section 36(4) and made suitable arrangement to give relief to dealer from this hardship and allow them 3 to 6 Months time so solve this problem.

7. REMOVE ILLOGICAL AND IMPRACTICLE PROVISION OF RCM

Respected Madam, the provision of RCM on inward supply from unregistered dealers is a very impractical provision especially in the cases where the paying dealer is getting the instant credit of the same. It has Zero revenue effect in most of the cases.

GST is a new tax and RCM is a very innovative provision hence in most of the cases dealers has made default in paying the same though they have paid the full tax as per their tax liability and in these type of cases the RCM is just a technical formality.

Respected Madam, please consider the dealer who defaulted in paying the RCM and taking credit of the same due to complications attached of this provision though they have otherwise paid their full tax liability and abolish the same since inception to give relief to these dealers.

Respected Madam, we are giving herewith an example how RCM has no financial effect on the revenue. Let us assume a dealer has to pay tax amounting to Rs. 5.00 out of which RCM is Rs. 50000.00, the dealer failed to pay RCM but paid tax Rs. 5.00 Lakhs.

The same dealer has paid Rs.50000.00 as RCM and paid the normal tax as Rs.4.50 Lakhs since he is eligible to get ITC of Rs. 50000.00 paid by him as RCM. Hence in this case also total tax deposited is Rs. 5.00 Lakhs. Rs.50000.00 is paid as RCM and Rs. 4.50 Lakhs paid as Normal Tax.

The RCM u/s 9(4) was introduced on 1st. July 2017 and it was postponed on 13th Oct. 2017 and after one more postponement the provision was practically scrapped. Why the provision which was postponed for its impracticality is applicable up to 13/10/2017?

In these types of cases the RCM is just a technical formality and having no financial effect so please scrap it since inception of GST i.e. 1st, July 2017.

8. INPUT CREDIT TIME EXPIRED PLEASE GIVE ONE MORE CHANCE TO DEALERS:- section 16(4)

As per section 16(4) the input credit can only be taken up to a definite period but at the initial 2 years of GST lot of dealers make a mistake of not taking the credit within stipulated time but in that case the Government has already received the tax under consideration.

If this credit is not give then it will be tantamount to double taxation on a single transaction because at first stage the purchaser has paid the tax to the Seller and at second stage department is not giving him the credit so he is required to pay it again. It is a big hardship to these dealers though GST itself is at initial stage at that time and not fully stabilised.

Your good self is therefore requested to please give suitable relief to the sufferers of this provision at least for initial 2 years.

(5)

9. MAKE GST A SIMPLE TAX:- PLEASE START THE PROCESS NOW

Respected Madam, GST is a big reform but unfortunately it was introduced with stringent procedures as a Tax to curb the evasion of tax instead of collection of collection of tax. So stringent procedures were made at the initial stage for which even the Law making agencies were not ready. Sir, you will be surprised to know that still the Final Returns for the first year of the GST are still pending though GST is completing its Third year of Introduction. There should be an atmosphere of "Respect and Belief" on the dealers and tax payers instead of making stringent procedures to make their day to day life complex and confusing. After all the dealers are also working for the nation and collecting the Tax.

GST is not the last destiny of economy and it is only the vehicle to help the smooth running of the economy and its main purpose should be to help the Trade and Industry and the ultimate aim is make strong economy of the country. GST should be the "As Simple as Possible" but unfortunately it appears that in our country it was introduced with the hidden slogan "How to make difficult GST" and now after 28 Months the problems of trade and Industry are increasing day by day. We all know sir, it was not the intention but the results are supporting this contention hence your intervention and efforts are needed to solve the problems of GST.

Respected Madam, Please issue strict orders to make the GST "Simple and easy to follow" for dealers and tax payers and further make it a viable revenue generating vehicle.

10. SERVICE SECTOR THRESHOLD LIMIT

Respected sir, GST is "One nation One Tax" and it was introduced as a tax with threshold limit of Rs.20.00 Lakhs both for Goods and Services but later when threshold was enhanced, it was enhanced only for Goods and not for services. Small service provider should also be given benefit of the same and for them also the Limit should be extended to a certain level to make it "One Nation One Tax".

11. EXTEND ANNUAL RETURN DATE TO 30/06/2020

The utility for the Annual Returns for the Assessment year 2018-19 is still not released till writing of this Letter. The dealers and professionals will need the time to file this return up to 30th June 2020. At present the due date is 31st. March but till today i.e. on 19th Feb 2020 the utility is not there at GSTN hence it is prudent that at the time of introduction of utility the final date should be declared at 30th June 2020.

It is humble request to your good self to consider this Logical demand in a day or two so that dealers can file the annual return easily and without any mistake.

Further The number of Notices issued in recent days are too much and it is clear indication that tax payers are not very comfortable with the GST procedures hence technical mistakes are too much . More Notices means more paper work and more appeals and litigation but these were not the exact objectives of GST. So something is really wrong with GST and it is a humble request and suggestion to your good self please instruct your dedicated GST team to consult some real GST experts who are working on Ground level and facing the real problems. They are facing the real problems hence it is better to consult these experts for practical solutions of GST Problems.

Hope your good self will look into these problems and possible solutions as narrated above and give a big relief to Trade and Industry so that they give their 100% contribution to the Economy of the country.

With warm Regards

Thanking You,



VIJAY PRAKASH JAIN
Secretary General
9811150010



Shyam Bihari Mishra Ex MP
National President BUVM
9415431364/9919491369